

**समझौता ज्ञापन**  
(Memorandum of Understanding)

राष्ट्र रक्षक अमरवीर जसवंत सिंह रावत  
एवं  
शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह सम्मान छात्रवृत्ति

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, 186 बटालियन,  
जयपुर, जिला नामसाई, अरुणाचल प्रदेश

एवं

अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज,  
नामसाई, अरुणाचल प्रदेश




## प्रस्तावना (Preamble) -

यह समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding) 186 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जयपुर, जिला नामसाई, अरुणाचल प्रदेश एवं अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश के बीच कल्याण महानिदेशालय, के.रि.पु.बल के बेतार संख्या M.V.01/2005-Wel-Edu-DA-3 dated 27/02/2026 सह पठित 186 बटालियन, के.रि.पु.बल के पत्र संख्या डब्ल्यू.पाँच-01/2026-स्था-पाँच दिनांक 01/04/2026 एवं अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश के पत्र संख्या फ.18.1/ अ.यु.वि./ सी.आर.पी./ 2026/ अप्रैल-1 दिनांक अप्रैल 06, 2026 के आलोक में किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मंडल द्वारा अमर वीर जसवंत सिंह रावत जी एवं शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के राष्ट्र के प्रति दिये गए सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में समझौता ज्ञापन हेतु 'राष्ट्र रक्षक अमरवीर जसवंत सिंह रावत एवं शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह सम्मान छात्रवृत्ति' का नाम अनुमोदित किया गया है।

## परिभाषाएँ (Definitions) -

- 1) "केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force)" से तात्पर्य भारत सरकार के अधीन कार्यरत सशस्त्र बलों अर्थात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force), सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (Indian Tibetan Border Police Force), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force), सशस्त्र सीमा बल (Shashastra Seema Bal), असम राईफल्स (Assam Rifles) एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard) से है।
- 2) "अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, नामसाई, अरुणाचल प्रदेश" से तात्पर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य के अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज विश्वविद्यालय से है जो की नामसाई में स्थित है।
- 3) "शिक्षण शुल्क" से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उस शुल्क से है जो केवल शैक्षणिक अध्ययन के लिए लिया जाता है। इसमें प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, हास्टल शुल्क, प्रोजेक्ट शुल्क इत्यादि सम्मिलित नहीं है। जी.एस.टी. नियमानुसार अलग से देय होगा।



## उद्देश्य (Objectives) -

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य इस प्रकार से है:-

- 1) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत, सेवानिवृत्त एवं मृत/शहीद कर्मियों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क में छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- 2) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत, सेवानिवृत्त एवं मृत/शहीद कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना।
- 3) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं विश्वविद्यालय के मध्य सौहार्द्र को बढ़ावा देना।

## छात्रवृत्ति प्रावधान (Scholarship Provisions) -

विश्वविद्यालय निम्नानुसार राष्ट्र रक्षक अमरवीर जसवंत सिंह रावत एवं शहीद सूबेदार जोगिंदर सिंह सम्मान छात्रवृत्ति प्रदान करेगा:-


- 1) श्रेणी "क" (Category A) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। (सूची संलग्न)
- 2) श्रेणी "ख" (Category B) के पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। (सूची संलग्न)
- 3) सेवा के दौरान मृत/शहीद केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के बच्चों को उपरोक्त शिक्षण शुल्क में छात्रवृत्ति के अतिरिक्त 10 प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

## पात्रता (Eligibility) -

- 1) आवेदक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत, सेवानिवृत्त एवं मृत/शहीद कर्मियों का आश्रित होना चाहिए।
- 2) आवेदक को सेवा प्रमाण पत्र अथवा सेवानिवृत्ति/मृतक आश्रित पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3) यह छात्रवृत्ति नियमित, दूरस्थ एवं आनलाईन माध्यम से पढाई करने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सेवारत, सेवानिवृत्त एवं मृत/शहीद कर्मियों के आश्रितों को देय होगी।

## अवधि (Validity) -

यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से 04 वर्षों (शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 2029-30 तक) के लिए मान्य होगा, जिसे बाद में आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।



## विवाद निपटान ( Dispute Resolution) –


किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष उच्च कार्यालयों की आपसी सहमति से समाधान करेंगे।

## समाप्ति (Termination) –

किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की लिखित सूचना देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त किया जा सकता है। समाप्ति की स्थिति में, इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पहले से नामांकित सभी छात्रों को उनके पाठ्यक्रम की समाप्ति तक लाभ मिलता रहेगा।

यह समझौता ज्ञापन दो प्रतियों में हस्ताक्षरित किया गया है, जिसमें प्रत्येक प्रति आधिकारिक मानी जाएगी एवं दोनों प्रतियों की समान विधिक वैधता होगी।

दोनों पक्ष उपर्युक्त समझौता ज्ञापन से सहमत हैं, जो नीचे उल्लिखित हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात पूर्ण रूप से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

  
21/4/2026  
**धर्मेन्द्र कुमार सिंह**


कमाण्डेंट

186 बटालियन, के.रि.पु.बल

नामसाई, अरुणाचल प्रदेश

दिनांक: 21 अप्रैल 2026

स्थान: नामसाई, अरुणाचल प्रदेश

  
21/4/26  
**प्रो. अजेय झा**

कुलपति

अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज,

नामसाई, अरुणाचल प्रदेश

## संलग्नक:-

श्रेणी "क" एवं "ख" के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों की विस्तृत सूची।

श्रेणी क (Category A)	श्रेणी ख (Category B)
Bachelor of Science (Hons. Agriculture)	Bachelor of Science (Nursing)
Master of Science (Agronomy)	Bachelor of Pharmacy (B. Pharm)
Master of Science (Horticulture)	Bachelor of Education (Hearing Impaired) (B.Ed.-HI)
Diploma in Pharmacy (D. Pharm)	Bachelor of Education (Visually Impaired) (B.Ed.-VI)
Master of Pharmacy (M. Pharm)	Bachelor of Law (LL.B)
Bachelor of Physiotherapy	B.A.-LL.B (Integrated Program)
Master of Physiotherapy	
Bachelor of Medical Laboratory Science	
Master of Science (Chemistry)	
Master of Science (Zoology)	
Master of Science (Botany)	
Bachelor of Computer Applications (Hons.)	
Master of Computer Applications	
Bachelor of Library and Information Science (BLIS)	
Master of Library and Information Science (MLIS)	
Diploma in Elementary Education (D. El. Ed.)	
ITEP Secondary - (B.A.-B.Ed.-Integrated)	
ITEP Secondary - (B.Sc.-B.Ed.-Int.)	
Master of Education (M.Ed.)	
Master of Arts (Education)	
Bachelor of Physical Education & Sports (Hons.)	
Master of Physical Education & Sports	
Master of Education-[Special Edu. Visual Imp.] (M.Ed.-HI)	
Master of Education-[Special Edu. Visual Imp.] (M.Ed.-VI)	
Master of Law (LL.M)	
Master of Commerce	
Bachelor of Business Administration (Hons.)	
Master of Business Administration	
Bachelor of Arts (Honours) (English/ Pol. Sc./ Geography/ Sociology)	
Master of Arts (English/ History/ Pol. Sc./ Geography/ Sociology/ Economics)	
Master of Social Work (M.S.W.)	